



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 754]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2007/आषाढ़ 1, 1929

No. 754]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2007/ASADHA 1, 1929

दिल्ली विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2007

दिल्ली विकास प्राधिकरण (परिसरों के मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक
उपयोग के लिए प्रभारों का निर्धारण) विनियम, 2006

का.आ. 1015(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II; खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1993(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

(1) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

“3. लागू होना.—ये विनियम, वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली मुख्य योजना में निहित मिश्रित उपयोग विनियमों के अनुसार गैर-आवासीय कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाए जा रहे आवासीय परिसरों पर लागू होंगे।”

(2) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

“5. वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार

5.1 मिश्रित उपयोग वाले परिसरों से उस अवधि के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों की वसूली की जाएगी, जिस अवधि तक वे परिसर मिश्रित उपयोग में रहे हैं/रहने की सम्भावना है। विभिन्न श्रेणियों की कालोनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार निम्नानुसार होंगे :—

(क) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों के लिए :—

(प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल के लिए दरें रुपए में)

क्रम संख्या	मिश्रित उपयोग का प्रकार	क और ख श्रेणी की कालोनी	ग और घ श्रेणी की कालोनी	ड, च और छ श्रेणी की कालोनी
1.	खुदरा दुकानें	767	511	192
2.	अन्य कार्यकलाप	383	256	96
3.	व्यावसायिक कार्यकलाप	192	128	48

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के क्षेत्रों के लिए

क्रम संख्या	मिश्रित उपयोग का प्रकार	(प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल के लिए दरें रुपए में)
1.	खुदरा दुकानें	1534 *
2.	अन्य कार्यकलाप	766
3.	व्यावसायिक कार्यकलाप	384

- 5.2 वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों का भुगतान परिसरों के स्वामी/आर्बिटरी/निवासी/प्रयोक्ता द्वारा पिछले निर्धारण वर्ष, अथवा उसके भाग के संबंध में उस भाग के अनुपात में प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पूर्व स्थानीय प्राधिकरण को स्वैच्छिक रूप से किया जाएगा। 2006-07 के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभारों के एक-चौथाई भाग का भुगतान 30-06-2007 को अथवा उससे पूर्व करना होगा और शेष तीन-चौथाई भाग का भुगतान 30-09-2007 को अथवा उससे पूर्व करना होगा। परवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए, समस्त प्रभारों का भुगतान उस वर्ष की 30 जून को अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।
- 5.3 ये दरें तक तक परवर्ती वर्षों के संबंध में भी लागू रहेंगी, जब तक इस केंद्र सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप से संशोधित और अधिसूचित न किया जाए।
- 5.4 परिसरों के स्वामी/आर्बिटरी/निवासी/प्रयोक्ता को मिश्रित उपयोग प्रभारों का एककालिक भुगतान करने का विकल्प होगा, जो वर्ष 2006-07 के लिए निम्नानुसार होगा :
- (क) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों के लिए :-

(प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल के लिए दरें रुपए में)

क्र.सं.	मिश्रित उपयोग का प्रकार	क और ख श्रेणी की कालोनी	ग और घ श्रेणी की कालोनी	ङ, च और छ श्रेणी की कालोनी
1.	खुदरा दुकानें	6136	4088	1536
2.	अन्य कार्यकलाप	3064	2048	768
3.	व्यावसायिक कार्यकलाप	1536	1024	384

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रों के लिए

क्र.सं.	मिश्रित उपयोग का प्रकार	(प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल के लिए दरें रुपए में)
1.	खुदरा दुकानें	12272
2.	अन्य कार्यकलाप	6128
3.	व्यावसायिक कार्यकलाप	3072

5.5 वर्ष 2006-07 के लिए एककालिक मिश्रित उपयोग प्रभारों का भुगतान चार एक समान त्रैमासिक किस्तों में किया जा सकता है, जिसकी पहली किस्त का भुगतान 30-6-2007 को अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

5.6 दि.न.पा.प. क्षेत्रों में ग्रामीण तथा पुनर्वास कॉलोनियों के मिश्रित उपयोग प्रभार दि.न.नि. कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों के प्रभारों के अगवर् होगे।"

(3) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"6. मिश्रित भूमि मार्गों/व्यावसायिक मार्गों/क्षेत्रों के लिए वार्षिक मिश्रित उपयोग प्रभार वही रहेंगे।"

(4) पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

7. पार्किंग के विकास के लिए एककालिक प्रभार

7.1 मिश्रित भूमि उपयोग वाले प्लॉट/आवासीय इकाई के स्वामी/आर्बिटरी/निवासी/प्रयोक्ता को पार्किंग के विकास के लिए एककालिक प्रभार का भुगतान करना होगा और प्रति 50 वर्ग मीटर प्लॉट क्षेत्र की एक ई.सी.एस. की ऐसी दर वर्ष 2006-07 के लिए निम्नानुसार होगी :-

(क) दि.न.नि. के क्षेत्रों के लिए :

क एवं ख श्रेणी की कॉलोनियां	रु. 2,10,500
ग एवं घ श्रेणी की कॉलोनियां	रु. 1,49,750
ङ, च एवं छ श्रेणी की कॉलोनियां	रु. 66,500

(ख) दि.न.पा.प. के क्षेत्रों के लिए :-

प्रति 50 वर्ग मी. प्लॉट क्षेत्रफल के एक ई सी एस हेतु रु. 2,10,500

7.2 पार्किंग के विकास हेतु कुल एक कालिक प्रभार में से एक-तिहाई भाग का भुगतान 30-6-2007 तक किया जाएगा और शेष दो-तिहाई भाग का भुगतान 31-3-2007 तक किया जाएगा।

7.3 किसी भी श्रेणी की कॉलोनियों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पैरा 15-6-3 में यथा परिभाषित मर्दों/कार्यकलापों वाली 20 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाली छोटी दुकानों के स्वामियों द्वारा पार्किंग के लिए कोई विकास-प्रभार देय नहीं होगा।

7.4 अधिसूचित पैदल खरीदारी स्थानों के अन्तर्गत आने वाले प्लॉट आवासीय इकाइयों के स्वामी/आर्बिटरी/निवासी/प्रयोक्ता द्वारा कोई भी विकास प्रभार देय नहीं होगा।

(5) पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

“9. जुर्माना

- 9.1 संबंधित वित्तीय वर्ष के पार्किंग हेतु विकास प्रभार या मिश्रित उपयोग प्रभार के भुगतान में विलंब पर 8% वार्षिक ब्याज के भुगतान पर समाधेय होगा।
- 9.2 घोषणा या पंजीकरण के बिना या दिल्ली मुख्य योजना-2021 के सम्बन्धित प्रावधानों और इसके विनियमों के उल्लंघन में मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत पाई गई सम्पत्ति संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और मिश्रित उपयोग के लिए वार्षिक परिवर्तन प्रभारों के 10 गुना के बराबर जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

[फा. सं. 20(4)/05/एम पी/भाग. II]

विश्वमोहन बंसल, प्रधान आयुक्त-एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2007

**Delhi Development Authority (Fixation of Charges for Mixed
Use and Commercial Use of Premises) Regulations, 2006**

S.O. 1015(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following modification to Notification No. S.O. 1993 (E) dated 20th November, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii):—

(1) Para 3 shall be substituted by the following:—

“3. **APPLICATION.**—These Regulations shall apply to residential premises being used for non-residential activity in accordance with the Mixed Use regulations contained in the Master Plan of Delhi, with the perspective for the year 2021.”

(2) Para 5 shall be substituted by the following:—

“5. ANNUAL MIXED USE CHARGES

5.1 The premises under mixed use shall be subject to levy of Annual Mixed Use charges for the period upto which the premises remain/likely to remain under mixed use. The Annual Mixed Use Charges for the Financial year 2006-07 for different categories of colonies shall be as under:

(a) For MCD areas:—

(Rates in Rs. Per Sqm. built up area)

S.No.	Type of mixed use	A & B Category of colony	C & D Category of colony	E, F & G Category of colony
1.	Retail Shops	767	511	192
2.	Other Activities	383	256	96
3.	Professional Activities	192	128	48

(a) For NDMC areas:—

S.No.	Type of mixed use	(Rates in Rs. Per Sqm. built up area)
1.	Retail Shops	1534
2.	Other Activities	766
3.	Professional Activities	384

5.2 The payment of annual mixed-use charges shall be made by the owner/allottee/resident user of the premises to the local authority voluntarily before 30th June of every year in respect of the previous assessment year, or part thereof, in proportion to that part. For the 2006-2007, 1/4th of the annual mixed use charges shall be paid on or before 30-06-2007 and the balance 3/4th shall be paid on or before 30-09-2007. For the subsequent assessment years, the entire charges are to be paid on or before 30th June of that year.

5.3 These rates shall remain in force in respect of subsequent years also unless specifically revised and not notified with the approval of the Central Government.

5.4 The owner/allottee/resident/user of the premises shall have option to make one time payment of mixed use charges, which shall be as follows for the year 2006-07:—

(a) For MCD areas:—

(Rates in Rs. Per Sqm. built up area)

S.No.	Type of mixed use	A & B Category of colony	C & D Category of colony	E, F & G Category of colony
1.	Retail Shops	6136	4088	1536
2.	Other Activities	3064	2048	768
3.	Professional Activities	1536	1024	384

(a) For NDMC areas: --

S.No.	Type of mixed use	(Rates in Rs. Per Sqm. built up area)
1.	Retail Shops	12272
2.	Other Activities	6128
3.	Professional Activities	3072

5.5 The payment of one time mixed use charges for the year 2006-07 may be made in four equal quarterly instalments, the first instalment of which shall be paid on or before 30-06-2007.

5.6 The mixed use charges of villages and rehabilitation colonies in NDMC areas shall be equal to the charges for the various categories of MCD colonies.

(3) Para 6 shall be substituted by the following:—

“6. The Annual mixed use charges for mixed land streets/commercial streets/areas shall be the same.”

(4) Para 7 shall be substituted by the following:—

“7. **ONE TIME CHARGES FOR DEVELOPMENT OF PARKING**

7.1 The owner/allottee/resident/user of the plot/dwelling unit under the mixed land use shall also be liable to pay one time charges for development of parking and such rate for one ECS per 50 Sqm. of plot area shall be as under for the year 2006-07: --

(a) For MCD areas: --

A & B Category of colonies	Rs. 2,10,500
C & D Category of colonies	Rs. 1,49,750
E, F & D Category of colonies	Rs. 66,500

(b) For NDMC areas:—

Rs. 2,10,500 for one ECS per 50 Sqm. of plot area.

7.2 Out of the Total one time charges for development of parking 1/3rd shall be paid on or before 30-06-2007 and the remaining 2/3rd by 31-03-2008.

7.3 No development charges for parking shall be payable by small shop owners of area upto 20 Sqm. dealing with the items/activities as defined in para 15.6.3 of the Master Plan for Delhi 2021 in respect of any category of colonies.

7.4 Development charges shall also not be payable by owner/allottee/resident/user of the plot/dwelling units falling under notified pedestrian shopping streets.”

(5) Para 9 shall be substituted by the following:—

“9. **Penalty**

9.1 Delay in payment of development charges for parking or mixed use charges of the relevant financial year shall be compoundable on payment of interest at 8% p.a.

9.2 The property found under mixed use without declaration or registration or in violation of the relevant provisions of the Master Plan for Delhi 2021 and these regulations, shall be liable for penal action under the relevant Act by the local body concerned and also a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use shall be imposed.”

[File No. 20(4)05/MP/Pt.II]

V.M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.